POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2021-23 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2022/अंक 07

मासिक प्रेषण दि. 8 जुलाई, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 जुलाई, 2022 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! समाज के विभिन्न कमजोर वर्गों के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें कई कल्याणकारी योजनाएं लागू करती हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि इनका फायदा जरूरतमंद को कितना मिल रहा है? दरअसल, योजनाओं की क्रियान्विति के दौरान ऐसा कोई आंतरिक निगरानी तंत्र नहीं होता जो बजटीय आवंटन, धन के दुरुपयोग व जवाबदेही आदि को अधिकारिक रूप से संभाले।

जरूरतमंदों तक लाभ नहीं पहुंचने में नौकरशाही की लापरवाही, जवाबदेही की कमी और घूसखोरी बड़ी वजह मानी जाती है। रंगे हाथों भ्रष्टाचार व दुर्भावना के मामलों को छोड़कर गलती करने वालों को शायद ही दण्डित किया जाता है। मसलन, चाहे किसान सम्मान निधि हो या कर्जमाफी योजना, मनरेगा हो या बच्चों के पोषण जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं, जिनमें केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को आवंटित धन राशि में कई अनियमितताएं हुई और धन का रिसाव सामने आया। गरीबों को मिलने वाले फायदे कई अपात्र लोग भी उठाते देखे गए।

गौरतलब यह है, इस लूट में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल होते हैं। जैसा कि पिछले दिनों प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में लाभार्थियों की पात्रता शर्तों का उल्लेख होने के बावजूद कई अपात्र सरकारी कार्मिकों ने गरीबों के राशन से अपनी झोली भर ली।

यह गड़बड़ी लाभार्थियों के आवेदन के समय सत्यापन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरतने से हुई। बाद में मामला सामने आने पर उनसे इस राशन की बाजार भाव से वसूली करना भारी पड़ा। जैसे-तैसे वसूली तो हुई, लेकिन गड़बड़ी करने वाले कार्मिकों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई।

जागरूकता की कमी: हक डकार रही बिजली कंपनियां

आप यह कर सकते हैं

राज्य विनियामक आयोग तथा डिस्काम की वेबसाइट पर एसओपी (कार्य कुशलता का स्तर) उपलब्ध है। हर्जाने के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन करें। हर्जाना राशि नहीं मिलने पर उपभोक्ता डिस्कॉम में अपील कर सकता है। वहां भी बात नहीं बनी तो विद्युत विनियामक आयोग जा सकता है।

प्रदेश में लोग विद्युत सप्लाई में व्यवधान (फॉल्ट, ट्रिपिंग), वोल्टेज की समस्या, खराब मीटर बदलने में देरी सहित 20 तरह की समस्याओं से परेशान है। जबकि बिजली सुविधा से जुड़े उपभोक्ताओं को इन बीस तरह के मामलों में हर्जाना लेने का हक है। लेकिन जागरूकता की कमी के चलते आपका हक बिजली कंपनियां डकार रही है।

पिछले वित्तीय वर्ष में 42.99 लाख शिकायतें दर्ज हुई। इसमें से करीब 1.28 लाख का निर्धारित समय पर समाधान ही नहीं हुआ। ऐसे मामलों में उपभोक्ताओं को हर्जाना (क्षतिपूर्ति) देने का प्रावधान है, लेकिन डिस्कॉम इससे बच रहे हैं। हालात यह है कि केवल 8 उपभोक्ता हर्जाने के लिए आगे आए हैं।

यह उपभोक्ता भी केवल जयपुर डिस्कॉम के हैं, अजमेर व जोधपुर डिस्कॉम का आंकड़ा तो शून्य है। उपभोक्ताओं को ऐसे प्रावधानों की जानकारी नहीं है और प्रावधान होने के बावजूद ना ही डिस्कॉम लोगों को जागरूक कर रहे हैं।

कंपनी को भारी पड़ा किसान को घटिया बीज बेचना

जयपुर जिले की आमेर तहसील निवासी किसान भगवान सहाय दुसाद ने 13 अगस्त 2013 को यादव एग्रो एजेंसी, चौमूं के यहां से 4680 रुपए में गाजर के सन्ग्रो सीड्स कंपनी के 500 ग्राम के 12 पैकेट खरीदे। विक्रेता ने उसे आश्वस्त किया कि इन बीजों से फसल की पैदावार अच्छी होगी। लेकिन बीजों की गुणवत्ता सही नहीं होने की वजह से जो फसल मिलनी चाहिए थी, वह मिली नहीं। उन्होंने विक्रेता फर्म और बीज कंपनी से शिकायत भी की लेकिन जवाब नहीं मिला। भगवान सहाय ने बीज विक्रेता फर्म और बीज कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर (प्रथम) में परिवाद दर्ज कराया।

आयोग में मामले की सुनवाई पर बीज विक्रेता ने खेत अम्लीय होने और बीज कंपनी ने बीजों की बुआई तय समय पर नहीं करने जैसी दलीलें दी। आयोग ने उनकी दलीलों को सही नहीं माना और कहा कि जांच रिपोर्ट के अनुसार बीज निम्न गुणवता के थे, इससे किसान को नुकसान हुआ है। आयोग ने बीज कंपनी सन्ग्रो सीड्स, नई दिल्ली को सेवा में कमी और अनफेयर ट्रेड प्रेक्टिस का दोषी माना और आदेश दिया कि बीज कंपनी किसान भगवान सहाय को एक लाख रुपए बतौर हर्जाना दें। साथ ही हर्जाना राशि में से 50 हजार रुपए पर परिवाद दायर करने की तारीख से 9 फीसदी ब्याज भी अदा करें।

किसान सम्मान निधि में करोड़ों का घोटाला

प्रदेश के अलवर जिले के थानागाजी में पीएम किसान सम्मान निधि में बड़ा घोटाला सामने आया है। यहां के प्रशासन ने महाराष्ट्र, आंध्र, बंगाल व उत्तर प्रदेश के 43 हजार 537 अपात्र किसानों को पीएम सम्मान निधि के 29 करोड़ रुपए बांट दिए। खास बात यह है कि थानागाजी की आबादी ही 1.60 लाख है जिनमें 30 हजार किसान है। लेकिन किसान सम्मान निधि 74 हजार किसानों को बांटी गई है।

इसके अलावा जिले की अन्य तहसीलों में भी अपात्र किसानों को करीब 39 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान हुआ है। हैरानी की बात यह है कि इन फर्जी आवेदनों की न तो जांच की गई और न ही पात्रता देखी गई। भौतिक सत्यापन भी जरूरी है, लेकिन नहीं किया गया। प्रदेशभर में जांच हो तो ऐसे और भी खुलासे हो सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दी उपभोक्ताओं को राहत

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के फैसलों के खिलाफ अब संबंधित राज्यों के हाईकोर्ट में भी अपील दर्ज कराई जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट की डिविजन बेंच के एक फैसले में यह आदेश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि आयोग संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत एक ट्रिब्यूनल है। इस नियम के तहत आयोग के फैसले को हाईकोर्ट में भी चुनौती दी जा सकती है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 25 हजार से अधिक मामले लंबित हैं। इसके फैसले की अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने और सुनवाई के लिए उपभोक्ताओं को दिल्ली जाना पड़ता था। अब इस फैसले से उन लोगों को काफी राहत मिलेगी जो दिल्ली जाने-आने के खर्च से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करते।

सहरिया जनजाति बन रही आत्मनिर्भर

कभी घास की रोटी खाने वाली सहरिया जनजाति के लोगों की स्थिति बदलने लगी है। राज्य के बारां और झालावाड़ जिलों में आदिवासी समूह के यह लोग प्राकृतिक जड़ी-बूंटियों और जंगलों से मिलने वाली आय के अलावा अब फलों और सब्जियों की खेती कर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं।

यह संभव हो रहा है सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा इनकी भलाई के लिए उठाए गए कदमों से। कृषक सहरिया परिवारों को अनुदान पर फलों और सब्जियों के बीज देकर खेती करवाई जा रही है। इससे उनका रुझान खेती की ओर बढ़ा है। उन्होंने आंवला, अमरूद, अनार जैसे फलों के साथ-साथ आलू, बैंगन, भिंडी, टमाटर, प्याज जैसी कई सब्जियों की खेती कर मुनाफा कमाना शुरू किया है। जिससे उनके परिवारों की दशा सुधरी है।

मनरेगा श्रमिकों की संख्या में कमी

बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के बीच नए वित्तीय वर्ष के शुरुआती दो माह ही प्रदेश की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को झटका दे गए। गांवों में हर दिन लाखों लोगों को रोजगार देने वाली मनरेगा में श्रमिक संख्या घटने का सीधा असर यह रहा कि प्रतिदिन करीब 6 करोड़ रुपए से अधिक राशि ग्रामीण बाजार के इन उपभोक्ताओं की जेब में नहीं आ पाई।

जानकारों की माने तो प्रदेश में मजदूरों की संख्या में आई यह कमी प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के हालात और बदतर कर सकती है। देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर करीब 3 फीसदी बढ़ चुकी है। वर्तमान में यह 26.2 फीसदी है, जबकि बीते साल के अंतिम चार महीनों में 23.4 फीसदी थी।

अनाथ हुए बच्चों को मिलेगी मदद

कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन' योजना के तहत मदद जारी की है। पिछले साल शुरू की गई इस योजना का मकसद ऐसे बच्चों की मदद करना है जिन्होंने कोरोना के कारण 11मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 के बीच माता-पिता या अभिभावक को खो दिया हो।

योजना के तहत इन बच्चों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए हर माह 4 हजार रुपए दिए जाएंगे। इन्हें पांच लाख रुपए तक मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान हेल्थ कार्ड मिलेगा। उच्च शिक्षा और प्रोफेशनल कोर्स के लिए एजूकेशन लोन की सुविधा मिलेगी और 23 साल की उम्र होने पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऐसे बच्चों को स्कूलों में प्रवेश कराया जा चुका है। सरकार द्वारा कापी-किताब, यूनिफार्म जैसे खर्च भी उठाए जाएंगे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने पर स्टाइफंड भी मिलेगा।

फसल की सुरक्षा के लिए तारबंदी योजना

किसानों के खेतों में लगी फसलों को आवारा पशु काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए किसान अपने खेत के चारों तरफ तारबंदी कर देते हैं, ताकि आवारा पशु खेत में ना जा सके। लेकिन कई किसान पैसों की कमी के कारण ऐसा नहीं कर पाते। इसलिए राज्य सरकार ने राजस्थान तारबंदी योजना 2022 शुरू की है। इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के किसानों को मिलेगा।

योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम 48 हजार रुपए जो भी कम हो तथा अन्य श्रेणी के किसानों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 40 हजार रुपए जो भी कम हो दिए जाने का प्रावधान है।

अधिक जानकारी के लिए किसान संबंधित क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक, ई-मित्र केंद्र या किसान कॉल सेंटर 1800-180-1551 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं।

महिलाओं को मिलेंगे मुफ्त स्मार्ट फोन

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल प्रदेश की 1.33 करोड़ महिला मुखियाओं को स्मार्ट फोन (मुफ्त इंटरनेट के साथ) देने की प्रक्रिया सितंबर माह से शुरू हो जाएगी। इसे सभी महिलाओं तक पहुंचाने में एक साल का समय लगेगा।

स्मार्ट फोन चिरंजीवी योजना में बीमित परिवार की महिला मुखिया को मिलेगा। इसके लिए जनाधार कार्ड होना जरूरी है। स्मार्ट फोन में दो सिम का विकल्प होगा। सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने 7500 करोड़ रुपए के इस टेंडर के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।

'जन समर्थ पोर्टल' पर मिलेंगे लाभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए 'जन समर्थ पोर्टल' शुरू किया है। इस पोर्टल की मदद से सरकारी योजनाओं के तहत ऋण लेना आसान हो जाएगा। पोर्टल से 13 सरकारी योजनाओं के तहत ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा।

सरकार ने यह फैसला लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए लिया है। अभी सिर्फ चार कैटेगरी के ऋण के लिए आवेदन किए जा सकते हैं, इनमें शिक्षा, कृषि बुनियादी ढांचा, बिजनेस स्टार्टअप और आजीविका ऋण शामिल हैं। ऋण आवेदन से लेकर इसकी मंजूरी तक सभी काम जन समर्थ पोर्टल से ऑनलाइन होंगे।

बढ़ती महंगाई, घटते रोजगार

देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल और रसोई गैस के दामों के साथ-साथ खाद्य वस्तुओं जैसे अनाज, खाद्य तेल, सब्जियों और आम उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें भी आसमान पर है। लोगों की क्रय शक्ति कमजोर हो गई है। इससे लोगों को जरूरी चीजों की खपत को कम करना मजबूरी बन गई है। पिछले दिनों भारतीय रिजर्व बैंक ने भी माना है कि महंगाई की दर उम्मीद से भी ज्यादा है।

बड़ी समस्या रोजगार की भी है। महामारी के कारण लाखों लोग अभी भी आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए हैं। गांवों में तो लोगों की हालत और भी खराब है। राज्य सरकार गांवों में भी उद्यमता बढ़ाने के प्रयास तो कर रही है, लेकिन वह नाकाफी हैं।

नानग राम शर्मा, श्री माधोपुर, सीकर

किसानों की कर्जमाफी में भी घपला

केंद्रीय सहकारी बैंक भरतपुर में करीब 26 करोड़ रुपए के गबन की जांच के दौरान एक और घपला सामने आया। यह घपला किसानों की कर्जमाफी के बदले सरकार की ओर से दी गई राशि में किया गया। घपला सीसीबी की कामां, डीग व कलक्ट्रेट ब्रांच में हुआ।

कर्जमाफी के बदले दिए गए करीब 26 करोड़ 96 लाख रुपए बैंक अधिकारियों ने ऋण खातों में जमा कराने के बजाय बचत खातों में जमा कर हड़प लिए। खुलासे के बाद बैंक के चार अधिकारियों को निलम्बित किया जा चुका है। सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 55 के तहत मामले की विस्तृत जांच का निर्णय लिया गया है। घपले में बैंक अधिकारियों के साथ कई सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की भी भूमिका नजर आ रही है, जो जांच के बाद स्पष्ट होगी।

विदेशों में बढ़ा गाय के गोबर का महत्व

फसलों के लिए गाय का गोबर बहुत उपयोगी है। मुस्लिम बहुल देश कुवैत के कृषि वैज्ञानिकों ने रिसर्च में यह दावा किया है। इसके बाद कुवैत की कंपनी लैमोर की ओर से भारत को पहली बार 192 मीट्रिक टन देशी गाय के गोबर का पहला आर्डर मिला है।

इस आर्डर के मुताबिक जयपुर स्थित श्री पिंजरापोल गोशाला के ऑर्गेनिक पार्क में कस्टम विभाग की निगरानी में देशी गाय के गोबर की पैकिंग की जा रही है। इसके बाद इसे कंटेनर द्वारा मुंबई भेजा जाएगा और वहां से जहाज द्वारा कुवैत पहुंचेगा। गौरतलब है, कुवैत में गाय के गोबर का पाउडर के रूप में इस्तेमाल करने से खजूर की फसल अच्छी हुई है और फल के आकार में भी बढ़ोतरी देखी गई है।

टीकाकरण के प्रति कम हुआ रुझान

देश में कोविड टीकाकरण शुरू हुए करीब डेढ़ वर्ष पूरा हो चुका है, लेकिन प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु के 5.99 लाख लोगों ने अभी पहली डोज भी नहीं लगवाई है। वहीं करीब 58.93 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले टीके के बाद दूसरी डोज लगवाना उचित नहीं समझा।

यह स्थिति तो तब है जबकि चिकित्सा विभाग 8 महीने से दोनों चरण के शत-प्रतिशत टीकाकरण के प्रयास कर रहा है। इस दौरान घर-घर दस्तक भी दी जा चुकी है। लेकिन लोग इसे अनदेखा कर रहे हैं। इस मामले में लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्टूस' जयपुर